



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

15 पौष, 1942 (श०)

संख्या- 19 राँची, मंगलवार,

5 जनवरी, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

24 दिसम्बर, 2020

संख्या-5/आरोप-1-87/2019-12910 (HRMS)/ चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री अभय कुमार, झा0प्र0से0 (पंचम बैच, गृह जिला-गोड्डा), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नौडीहा बाजार, पलामू के विरुद्ध प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत प्रखण्ड नौडीहा बाजार अन्तर्गत नावाटांड पंचायत में वित्तीय वर्ष 2018-19 तथा 2019-2020 में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा फर्जी आवास की स्वीकृति तथा अवैध राशि की निकासी करने एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा करकट्टा मुखिया पति रामबली पासवान के साथ मिलकर सुनियोजित तरीके से 32.40 लाख रुपये सरकारी राशि की फर्जीवाड़ा करने संबंधी आरोप, जैसा कि ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-4568, दिनांक 16.12.2019 के माध्यम से प्राप्त उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-976, दिनांक 04.12.2019 द्वारा प्रपत्र-क में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।

2. अतः श्री कुमार के विरुद्ध प्रपत्र-क में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री कुमार को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

4. श्री कुमार द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल द्वारा श्री गौरी शंकर मिंज, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

5. श्री कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पलामू को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	ABHAY KUMAR 110037710581	श्री अभय कुमार, झा0प्र0से0 (पंचम बैच, गृह जिला-गोड्डा), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नौडीहा बाजार, पलामू के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी प्रति (आरोप पत्र एवं साक्ष्य कागजात सहित) श्री अभय कुमार, झा0प्र0से0 एवं श्री गौरी शंकर मिंज, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972
